भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India

05th May 2026

ORDER

Subject: Order under section 12 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, seeking information for conducting village level digital connectivity and usage study

F.No.C-11/(1)/2024-BBPA-Part(2) Whereas the Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority"), established under sub-section (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), has been entrusted with discharge of certain functions, *inter alia*, to ensure compliance of terms and conditions of licence; regulate telecommunication services; notify rates for telecommunication service; protect the interest of service providers and consumers of the telecom sector;

2. And whereas the Authority is working on a village-level study on digital connectivity and its usage for the villages in India;

3. And whereas the Authority, vide Order No. C-11/(1)/2024-BBPA-Part(2) dated the 11th April 2025 (hereinafter referred to as the "Order"), *inter alia*, called upon all the service providers to furnish information annually, as per the Annexure attached to the said Order, within thirty days from date of issue of the Order for the month of March, 2025, and thereafter every year within thirty days of the end of March;

4. And whereas the Authority has undertaken the village-level study of digital connectivity and usage for year 2025 and has decided to undertake a village-level study on digital connectivity and usage (hereinafter referred to as the **"Study"**) annually, to measure the level of digital connectivity and its usage in villages across India;

5. And whereas the Authority is of the view that for working on the Study, telecom indicators such as coverage, quality of service, subscriptions, data consumption, and other related factors are to be evaluated and, therefore, certain modifications are required to be made in the format for seeking information from the service providers and, accordingly, modified Annexures were shared with all the service providers for their comments and a meeting was also held with the service providers on the 12th March 2026 to explain the changes made in the Annexures;

6. And whereas the Authority analysed the comments received from various service providers and, after considering the comments and suggestions, modifications have been made in the respective Annexures;

7. And whereas, for the Study of various telecom indicators, the Authority requires information from the service providers annually;

8. Now, therefore, the Authority, in exercise of the powers conferred upon it under section 12 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), and in supersession of the Order dated 11th April, 2025, hereby calls upon all the service providers to furnish the information as specified in Annexure-1 to Annexure-3 to the Authority, within 60 days from the date of issue of this order for the month of March 2026, and thereafter, every year for the month of March, in soft copy or online, as the case may be, as per the schedule mentioned below:-

Parameter	Submission Period
Annexure-1(Coverage Technology, 4G & Higher technologies Percentage Coverage, Average Upload & Download Speed, and Latency & Village CGIs) **Annexure-2**(Coverage Technology, Downtime, Average Upload & Download Speed, and Latency) **Annexure-3**(Coverage Technology, Downtime, Average Upload & Download Speed and Latency)	Within 30 days of the end of March
Annexure-1(Subscriber Count, Data Consumption) **Annexure-2**(Subscriber Count, Data Consumption) **Annexure-3**(Subscriber Count, Data Consumption)	Within 60 days of the end of March

(Abdul Kayum)

Advisor (Broad Band & Policy Analysis)

To

1. All Access Service Providers
2. All ISPs
3. All Satellite Communication Service Providers

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India

05 मई 2026

आदेश

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 12 के तहत आदेश- ग्राम स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी और उसके उपयोग का अध्ययन करने के लिए जानकारी मांगना

फाइल.सं.सी-11/(1)/2024-बीबीपीए-पार्ट(2) जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) को लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ कुछ कार्यों के निर्वहन का कार्य सौंपा गया है; दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना; दूरसंचार सेवा के लिए दरों को सूचित करें; दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना;

2. और जबकि प्राधिकरण भारत में गांवों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी और इसके उपयोग के लिए ग्राम स्तर पर अध्ययन पर काम कर रहा है;

3. और जबकि प्राधिकरण ने दिनांक 11 अप्रैल 2025 के आदेश संख्या सी-11/(1)/2024-बीबीपीए-भाग (2) (इसके बाद "आदेश" के रूप में संदर्भित), में अन्य बातों के साथ-साथ, सभी सेवा प्रदाताओं को आदेश दी है कि वे मार्च, 2025 के महीने के लिए, इस आदेश जारी होने की तारीख से तीस दिनों , और उसके बाद हर साल मार्च की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर वार्षिक आधार पर जानकारी उक्त आदेश के संलग्न अनुलग्नक के अनुसार प्रस्तुत करें;

4. और जबकि प्राधिकरण ने वर्ष 2025 के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी और उपयोग का ग्राम-स्तरीय अध्ययन शुरू किया है और भारत भर के गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी के स्तर और इसके उपयोग को मापने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी और इसके उपयोग (इसके बाद "अध्ययन" के रूप में संदर्भित) पर वार्षिक रूप से ग्राम-स्तरीय अध्ययन करने का निर्णय लिया है;

5. और जबकि प्राधिकरण का विचार है कि अध्ययन पर काम करने के लिए, दूरसंचार संकेतकों जैसे कि कवरेज, सेवा गुणवत्ता, सब्सक्रिप्शन, डेटा कंजम्पशन और इससे संबंधित अन्य घटकों का मूल्यांकन किया जाना है, इसलिए, सेवा प्रदाताओं से जानकारी प्राप्त करने वाले प्रारूप में कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और तदनुसार, संशोधित अनुलग्नकों को सभी सेवा प्रदाताओं के साथ उनकी टिप्पणियों के लिए साझा किया गया था और अनुलग्नकों में किए गए परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ 12 मार्च 2026 को एक बैठक भी आयोजित की गई थी

6. और जबकि प्राधिकरण ने विभिन्न सेवा प्रदाताओं से प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया है और टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करने के बाद, संबंधित अनुलग्नकों में संशोधन किए गए हैं;

7. और जबकि, विभिन्न दूरसंचार संकेतकों के अध्ययन के लिए, प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं से वार्षिक आधार पर जानकारी की आवश्यकता होती है;

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, टावर-एफ (चतुर्थ से सातवाँ तल), नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029
World Trade Center, Tower-F, (4th to 7th Floor), Nauroji Nagar, New Delhi-110029
Tel. : 011-26769600 / www.trai.gov.in

8. इसलिए, प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 11 अप्रैल, 2025 के आदेश के अधिक्रमण में, सभी सेवा प्रदाताओं को आदेश देता है कि वे अनुलग्नक-1 से अनुलग्नक-3 के अनुसार निर्दिष्ट जानकारी—मार्च 2026 के महीने के लिए इस आदेश जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर, तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के लिए—नीचे उल्लिखित अनुसूची के अनुसार सॉफ्ट कॉपी या ऑनलाइन (जैसा लागू हो) प्रस्तुत करें।

मानदंड	जमा अवधि
अनुलग्नक-1 (कवरेज टेक्नालॉजी, 4G और उच्च टेक्नालॉजी, प्रतिशत कवरेज, औसत अपलोड और डाउनलोड स्पीड और लेटेंसी और विलेज सीजीआई) **अनुलग्नक-2** (कवरेज टेक्नालॉजी, डाउनटाइम, औसत अपलोड और डाउनलोड स्पीड और लेटेंसी) **अनुलग्नक-3** (कवरेज टेक्नालॉजी, डाउनटाइम, औसत अपलोड और डाउनलोड स्पीड और लेटेंसी)	मार्च समाप्ति के 30 दिनों के भीतर
अनुलग्नक-1 (उपभोक्ता संख्या, डेटा खपत) **अनुलग्नक-2** (उपभोक्ता संख्या, डेटा खपत) **अनुलग्नक-3** (उपभोक्ता संख्या, डेटा खपत)	मार्च समाप्ति के 60 दिनों के भीतर

(अब्दुल कैयूम)
आदेश कार (ब्रॉड बैंड और नीति विश्लेषण)

सेवा में,

1. **सभी एक्सेस सेवा प्रदाता**
2. **सभी आईएसपी**
3. **सभी उपग्रह संचार सेवा प्रदाता**